न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/82/2025	13–05–2025	20.08.2025

1–सरकार जर्ये उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1–मैसर्स safe décor pvt. S-812/e-6 ricco industrial, area phase-II bhiwadi khairthal tijara प्रतिनिधी भूपेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 क्लोज 19, 21 एवं 25 के तहत परिवाद

उपस्थितः–

1–विभागीय प्रतिनिधि — उपस्थित

2–अप्रार्थी के प्रतिनिधी — उपस्थित

––:: निर्णय ::––

डॉ0 राजेन्द्र कुमार उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 क्लोज 19, 21 एवं 25 के अन्तर्गत संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया 6 मैट्रिक टन (120 x 50 bage) को जप्त किया गया है। जप्त शुदा नीम कोटेड यूरिया 6 मैट्रिक टन (120 x 50 bage) का निस्तारण किये जाने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 08.04.2025 को कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्राक 184–387 दिनाक 04.04.2025 एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरथल–तिजारा के पत्राक 51–59 दिनाक 04.04.2025 के द्वारा गठित दल द्वारा रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, भिवाडी में फर्म/कम्पनी safe décor pvt. S-812/e-6 ricco industrial, area phase-II bhiwadi khairthal tijara का औचिक निरीक्षण कर फैक्ट्री में संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा उक्त औधोगिक प्रयोग यूरिया जो कि मानक स्टेन्डर्ड जिसमे उत्पादन एंव विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही होने के कारण उक्त नीम कोटेड यूरिया को संदेहजनक माना जाकर नमूना आहरित किया गया। जिसका नमूना Rje/f/2025-26/002 है। जिसको राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला मे जॉच हेतु भिजवाया है। टीम के सदस्य विजय सिंह संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरथल–तिजारा के साथ गठित टीम द्वारा दिनाक 08.04.2025 को लगभग सांय 4.30 बजे मौके पर जाकर उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा 6 मैट्रिक टन (120 x 50 bage) टीम के सदस्यो के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गयी। फर्म के प्रतिनिधी से चर्चा कर अस्थाई रूप से फर्म

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

के परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लोज 19, 21 व 25 के तहत उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की दिनाक 08.04.2025 को जप्ती की गयी। प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा नीम कोटेड यूरिया 6 मैट्रिक टन (120 x 50 bage) का निस्तारण किये जावे।

अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया है, अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी के द्वारा अपने कथन में अंकित किया गया है कि हमारी कम्पनी को उक्त सामग्री मैसर्स शुभम कैमीकलस एण्ड सोलवेन्ट लि0 नई दिल्ली से जर्ये चालान संख्या ईन/07/24–25/1429 दिनाक 24.03.2025 से प्राप्त हुआ है। सामग्री तकनीकी ग्रेड एंव उधोग में प्रयोग की जाने वाली है, जिसमें नीम ऑयल की मात्रा नही पायी गयी है। सामग्री 50 किलों के मानक थैले में भरकर सीधे आपूर्तिकर्ता के द्वारा मंगवाया गया है। जिसमें कि दिनाक व भार का विवरण थैले पर अंकित है। आयातकर्ता के बिल का प्रवेश नम्बर 6980285 दिनाक 30.11.2024 है। थैले पर निर्माण उधोग के विवरण का उल्लेख नही करने के कारण नीति, आयात विनियमन सहित कई कारको को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, यह सम्भव है कि आयातक, वितरक या पूर्ण विक्रेता के रूप में कार्य कर रहा हो, और विशिष्ट निर्माण विवरण अन्तिम उपयोगकर्ता के लिए प्रासंगिक हो। थैले पर निर्माण विवरण न होने की स्थिति में यह नियामक आवश्यकताओ, आपूर्ति श्रखला, और व्यवसायिक विचारो का एक संयोजन हो सकता है। औधोगिक उपयोग के लिए तकनीकी ग्रेड युरिया आयात करने वाली कम्पनीयो के लिए विशेष रूप से अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार के मामलो में यह एक सामान्य प्रथा है।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया है, कि दिनाक 08.04.2025 को कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्राक 184–387 दिनाक 04.04.2025 एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरथल–तिजारा के पत्राक 51–59 दिनाक 04.04.2025 के द्वारा गठित दल द्वारा रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, भिवाडी में फर्म/कम्पनी safe décor pvt. S-812/e-6 ricco industrial, area phase-II bhiwadi khairthal tijara का औचिक निरीक्षण कर फैक्ट्री में संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा उक्त औधोगिक प्रयोग यूरिया जो कि मानक स्टेन्डर्ड जिसमे उत्पादन एंव विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही होने के कारण उक्त नीम कोटेड यूरिया को संदेहजनक माना जाकर नमूना आहरित किया गया। जिसका नमूना Rje/f/2025-26/002 है। जिसको राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला मे जॉच हेतु भिजवाया है। टीम के सदस्य विजय सिंह संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरथल–तिजारा के साथ गठित टीम द्वारा दिनाक 08.04.2025 को लगभग सांय 4.30 बजे मौके पर जाकर उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा 6 मैट्रिक टन (120 x 50 bage) टीम के सदस्यो के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गयी। फर्म के प्रतिनिधी से चर्चा कर अस्थाई रूप से फर्म के परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लोज 19, 21 व 25 के तहत उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की दिनाक 08.04.2025 को जप्ती की गयी। प्रकरण का विधिवत निस्तारण करने की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थी द्वारा पेश किये जवाब में अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, कि उत्पादन एंव विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव विभागीय प्रतिनिधी की बहस का मनन किया। उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 08.04.2025 को कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्राक 184–387 दिनाक 04.04.2025 एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरथल–तिजारा के पत्राक 51–59 दिनाक 04.04.2025 के द्वारा गठित दल द्वारा रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, भिवाडी में फर्म/कम्पनी safe décor pvt. S-812/e-6 ricco industrial, area phase-II bhiwadi khairthal tijara का औचिक निरीक्षण कर फैक्ट्री में संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा उक्त औधोगिक प्रयोग यूरिया जो कि मानक स्टेन्डर्ड जिसमे उत्पादन एंव विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही होने के कारण उक्त नीम कोटेड यूरिया को संदेहजनक माना जाकर नमूना आहरित किया गया। जिसका नमूना Rje/f/2025-26/002 है। जिसको राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला मे जॉच हेतु भिजवाया है। टीम के सदस्य विजय सिंह संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

खैरथल–तिजारा के साथ गठित टीम द्वारा दिनाक 08.04.2025 को लगभग सांय 4.30 बजे मौके पर जाकर उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा 6 मैट्रिक टन (120 x 50 bage) टीम के सदस्यो के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गयी। फर्म के प्रतिनिधी से चर्चा कर अस्थाई रूप से फर्म के परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लोज 19, 21 व 25 के तहत उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की दिनाक 08.04.2025 को जप्ती की गयी। अप्रार्थी द्वारा पेश किये जवाब में अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, कि उत्पादन एंव विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही है। उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा विधिवत जॉच कर विधिक प्रावधानुसार संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा 6 मैट्रिक टन (120 x 50 bage) जप्ती की कार्यवाही की गयी है, ऐसी स्थिति में उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है, प्रकरण में संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा 6 मैट्रिक टन (120 x 50 bage) को अस्थाई रूप से फर्म के परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया। से वापिस प्राप्त कर नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण की कार्यवाही की जावे। संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा 6 मैट्रिक टन (120 x 50 bage) को वर्तमान बाजार दर से सम्बधित फर्म/कम्पनी/सहकारी समिति के माध्यम से को विक्रय किया जाकर राशि अमानतन हैड में जमा कोष करायी जावे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा को पालनार्थ भिजवायी जावे। पालना में की गयी कार्यवाही से न्यायालय हाजा को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)